

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली

अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र

01. कर्मचारी का नाम
02. क) पदनाम
- ख) स्थायी या अस्थायी
03. अनुभाग / कार्यालय, जिसमें कार्यरत हैं.....
04. वर्तमान पद में मूल वेतन
05. मूल निवास स्थान (जो सेवा पंजिका में घोषित किया गया है)
07. पिछले ब्लाक वर्ष में ली गई अवकाश यात्रा रियायतों का विवरण
- क) गृह नगर यात्रा
- ख) अखिल भारतीय यात्रा
08. ब्लाक वर्ष, जिसके लिए वर्तमान रियायत प्रस्तावित है
09. आकस्मिक या अर्जित अवकाश लिया है (यहांपर अवकाश का प्रकार व अवधि लिखें)
10. क्या पहले लिए गये अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम का पूर्ण समायोजन कर लिया है या करना बाकी है। पिछले मामले में समायोजन की तिथि लिखें ।
11. यात्रा का स्थान (दूरस्थ बिन्दु)
12. यात्रा प्रस्थान की प्रस्तावित तिथि
13. यात्रा वापसी की संभावित तिथि
14. अवकाश यात्रा रियायत सुविधा लेनेवालेपरिवार के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम	संबंध	आयु	क्या आश्रित हैं

15 रेलवे यात्रा में प्रस्तावित आवास की श्रेणी :

16 क) अपेक्षित अग्रिम की राशि :

ख) अर्जित अवकाश (10 दिनों) के नकदीकरण की आवश्यक है या नहीं:.....

कार्यालय का नाम जिसमें कर्मचारी की पत्नी/पति कार्यरत हैं । :

यदि कर्मचारी की पत्नी/पति अपने नियोक्ता से अवकाश यात्रा रियायत या इसी तरह की सुविधा के पात्र हैं तो क्या यह घोषणा दे दी गई है कि वे अपने कार्यालय से अपने और अपने परिवार के लिए अवकाश यात्रा रियायत का दावा नहीं करेंगे/करेंगे । :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

स्थान :

पदनाम :

घोषणा

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विवरण सत्य व सही हैं ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि मैं प्रस्तावित यात्रा जिसके लिए अग्रिम लिया गया है, पर नहीं जाता तो लिए गए पूरे अवकाश यात्रा अग्रिम को तत्काल वापस जमा करा दूँगा ।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना आवेदन पत्र में दर्शाए गए स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान की यात्रा नहीं करूँगा ।

मैं यह बात पर भी सहमत हूँ कि यदि मैं अग्रिम लेने के 90 दिन के भीतर वापसी यात्रा पूरी नहीं कर सका तो अग्रिम की आधी राशि वापस जमा करा दूँगा ।

मैं इस पर भी सहमत हूँ कि किसी भी कारण मेरे पास शेष रह गई अग्रिम की राशि में तत्काल कार्यालय में जमा करा दूँगा ।

मैं इस पर भी सहमत हूँ कि मैं यात्रा पर जाने के लिए अपने/अपने परिवार के सदस्यों/जैसा भी मामला हो हेतु खरीदी गई टिकटों आदि के प्रमाण अग्रिम प्राप्त करने की तिथि से 10 दिन के अन्दर अथवा यात्रा प्रारंभ करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत कर दूँगा । मुझे मालूम है कि यदि मैं उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं करता तो मेरे अगले महीने के वेतन से अग्रिम राशि सामान्य ब्याज से 2-1/2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दंडस्वरूप ब्याज के साथ एकमुश्त वसूल कर ली जाएगी ।

मैं जानता हूँ कि यदि मैं वापसी यात्रा के एक माह के भीतर अपने अवकाश यात्रा रियायत बिलों को प्रस्तुत नहीं करता तो मेरे पर बकाया अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम, मेरे अगले महीने के वेतन से सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 2-1/2 प्रतिशत की दर से दंडस्वरूप ब्याज के साथ एकमुश्त वसूल कर लिया जाएगा ।

मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मैं यात्रा पूरी होने के तीन माह के अन्दर बिल जमा नहीं करवाता तो मेरा दावा रद्द कर दिया जाएगा ।

मैं यह भी समझता हूँ कि यदि स्वयं के लिए अवकाश यात्रा रियायत ली गई हो तो यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी, जब यात्रा किसी प्रकार का अवकाश लेकर की गई हो न कि केवल सप्ताह के आखिरी छुट्टी/अन्य छुट्टी/प्रतिबंधित अवकाश के दौरान ।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

...

स्थान :

पदनाम

..

अनुभाग

..

नोट: यदि अग्रिम की आवश्यकता हो तो आवेदन पत्र यात्रा पर जाने के कम से कम 15 दिन पहले प्रस्तुत करना होगा ।

अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा लेने के लिए केन्द्रीय बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने का
प्रमाण-पत्र

01. मैंने ब्लाक वर्षके संबंध में अभी तक अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए अवकाश यात्रा रियायत का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
02. मैंने अपने/अपनी पत्नी वबच्चों द्वारा की गई यात्रा के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत के लिए पहले ही यात्रा भत्ता ले लिया है। यह दावा मेरे/पत्नी वबच्चों द्वारा की गई यात्रा के संबंध में है, जिन्होंने पिछली अवकाश यात्रा रियायत के दौरान यात्रा नहीं की थी।
03. मैंने अपने/अपनी पत्नी वबच्चों के संबंध में दो ब्लाक वर्षवकी अवकाश यात्रा रियायत के लिए यात्रा भत्ता पहले नहीं लिया है। यह दावा उस यात्रा के संबंध में है, जो मैंने स्वयं/पत्नी/.....बच्चों के साथ की थी, जिसमें किसी ने उस संबंधित ब्लाक वर्ष की अवकाश यात्रा रियायत नहीं ली है।
04. मैंने दो ब्लाक वर्षों व के संबंध में वर्ष में की गई यात्रा की अवकाश यात्रा रियायत के लिए पहले ही यात्रा भत्ता ले लिया है। यह दावा मेरे द्वारा ... वर्ष में की गई यात्रा के संबंध में है। यह दावा निर्धारित ब्लाक में, वर्ष में एक बार अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए ग्राह्य अवकाश मात्रा रियायत के बदले में है, क्योंकि मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे कार्यस्थल से दूर रहने हैं।
05. यह यात्रा मैंने स्वयं/अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अपने घोषित मूल निवास स्थान अर्थात् जाने के लिए की है।
06. यह कि मेरे पति/पत्नी सरकारी सेवा में हैं/नहीं हैं/ और उन्होंने संबंधित दो वर्षों के ब्लाक के लिए स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वं ६। में अलग से कोई अवकाश यात्रा रियायत नहीं ली है।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

.....

नाम

.....

पदनाम

.....

दिनांक

.....

स्थान

.....